


05.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई  
कार्यवाही नही चाही जा रही है पत्रावली दिनांक 24.  
09.2021 से लगातार तलबी स्तर पर चल रही है।  
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई  
गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी  
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व  
वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद  
पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

24- पत्रावली पेशी में  
पत्रावली का अवलोकन  
पाया वादी व वादी  
कार्यवाही नहीं  
2021 से लगातार  
तलबी स्तर पर  
वादी व वादी  
असालतन/वकालतन  
उपस्थित नहीं आये  
वादी व वादी अधिवक्ता  
के उपस्थित नहीं आने  
के कारण वाद पत्र  
वादी अदम पैरवी/अदम  
हाजरी के आधार पर  
खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर वाद तकमील दाखिल

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

